राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/विविध परिपत्र सं.8/2012
05 जून, 2012

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)

महोदय,

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 –
एनआरआई/पीआईओ को रुपये में आवास ऋण उपलब्ध कराना

कृपया उपरोक्त विषय पर हमारे दिनांक 02 जून, 2003 के परिपत्र एनएचबी/ एनडी/ एचएफसी (पी एंड डी)/133/1474/2003 का संदर्भ लें। एक पंजीकृत आवास वित्त कंपनी ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या अधिसूचना सं. एफईएमए 4/2000-आरबी दिनांकित 03 मई, 2000 के विनियम 8 में प्रयुक्त वाक्यांश "रा.आ.बैंक द्वारा भारत में अनुमोदित आवास वित्त संस्थान" को ध्यान में रख कर वह अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) अथवा किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को आवास ऋण उपलब्ध करा सकती है।

2. इस संबंध में, हम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (रुपये में उधार और ऋण) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. एफईएमए 4/2000 – आरबी दिनांकित 03 मई, 2000) के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ए.पी.(डीआईआर श्रेणी) परिपत्र सं. 95 दिनांकित 26 अप्रैल, 2003 और ए.पी.(डीआईआर श्रेणी) परिपत्र सं. 93 दिनांकित 25 मई, 2004 की ओर, जो अन्य बातों के साथ-साथ एनआरआई/पीओआई को रुपये में आवास ऋण उपलब्ध कराते हैं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधिसूचना सं. एफईएमए 4/2000-आरबी दिनांकित 03 मई, 2000 के विनियम 8 में प्रयुक्त वाक्यांश "रा.आ.बैंक द्वारा भारत में अनुमोदित आवास वित्त संस्थान" को आवास वित्त संस्थान के तौर पर परिभाषित किया गया है जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित किये जा रहे हैं और इस प्रयोजन के लिये उन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक से पंजीकृत किया गया है ।

3. हमें आशा है कि उक्त से स्थिति स्पष्ट हो गई है।

भवदीय,

राजन

(वी. राजन)
उप महा प्रबंधक